न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 44/2018

प्रविष्टि दिनांक 24–5–2018

श्योजीलाल मीना उचित मूल्य दुकानदार पाटोली तह0 उनियारा जिला–टोंक

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए प्रवर्तन निरीक्षक उनियारा जिला–टोंक राज0

––रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 21–3–2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(रसद) उनियारा जिला–टोंक प्रकरण सं0 7/2017 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम श्योजीलाल मीना

उपस्थितिः–1.श्री अशोक कुमार कासलीवाल अभिभाषक –अपीलान्ट की ओर से
2.श्री रामभजन मीणा पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट की ओर से

निर्णय दिनांक 20–10–2021

अपील अपीलान्ट सांराश में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने आदेश दिनांक 21–3–2018 के द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य की दूकान पाटोली में अनियमितताऐं पाये जाने के कारण अपीलान्ट की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/रूपये जप्त सरकार कर ,गबन राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराने का आदेश पारित किया है। इस आदेश से अपीलान्ट अप्रसन्न होकर उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश की तथा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के तहत ग्राम पाटोली तह0 उनियारा के लिए उचित मूल्य दुकानदार है। अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये बिना उक्त आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किया है। आदेश 1976 के नियम 8(2) यह कहता है कि “No order Of Cancellation shall be made under this order unless the authorisation holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation.” उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अपीलान्ट का उक्त लासईसेंस निरस्त करने से पूर्व युक्तियुक्त अवसर देना चाहिये था। जिसकी पालना जिला रासद अधिकारी द्वारा नहीं की गई। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई है वह स्टॉक राजिस्टर,वितरण राजिस्टर एवं पोस मशीन के इन्द्राज के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:43:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

पर तैयार नहीं की गई है। जबकि अपीलान्ट के पास जितने भी उपभोक्ता आये हैं उन्हें सभी को पोश मशीन का उपयोग कर सामग्री का वितरण किया गया है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का गबन नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने उसके उपर लगाये गये सभी आरोपों का स्पष्टीकरण दिया है इस कारण उक्त आदेश निरस्तनीय है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन रहा कि प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने निर्णय पारित कर दिया। स्टॉक राजिस्टर,वितरण रजिस्टर व पोस मशीन के डाटा का परीक्षण नहीं किया, इसकारण निर्णय गलत सादिर हुआ है निर्णय निरस्तनीय है। अपीलान्ट वर्षों से राशन डीलर रहा है पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार का गबन का आरोप नहीं रहा, अपीलार्थी का लाईसेंस राजनैतिक रंजिशवश निरस्त किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त किया जाये एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल की जावे। अपीलान्ट अपीलान्ट को आदेश की जानकारी कुछ दिन पूर्व होने से नकल प्रापत करने व खर्चे का इन्तेजाम करने के कारण जो देरी हुई है उस देरी को कन्डोन करने का दफा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न किया है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनाक 26.12..2017 को कार्यशील दिवस को निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान मौके पर मूल्य एंव स्ट्रॉक सूचना का बोर्ड पर स्टॉक व मूल्य सूचि प्रविष्टियों का इन्द्राज नही था। मौके पर रसद सामग्री का भण्डारण प्राधिकार पत्र में स्वीकृत नक्शे से अन्यत्र भण्डारण करना पाया गया। मौके पर दुकान बन्द पाई गई तथा राशन डीलर को दूरभाष पर मौके पर बुलाने पर उसने आने तथा सामग्री का भौतिक सत्यापन करवाने से मना कर दिया। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने पिछले चार–पॉच माह से राशन सामग्री का वितरण नहीं करना बताया। उक्त कारणों से डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर पत्र क्रमांक 212 दिनांक 10–1–2018 से अपीलाण्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था लेकिन अपीलान्ट के द्वारा जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया है। तत्पश्चात प्रवर्तन निरीक्षक उनियारा द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच दिनांक 12–1–2017 को प्रस्तुत की गई जिसमें डीलर द्वारा 92.36 क्वि0 गेहूँ 41 किलोग्राम चीनी तथा 142.5 लीटर केरोसीन का गबन किये जाने पर अपीलान्ट को पुनः नोटिस जारी कर जवाब/स्पष्टीकरण देने हेतु पत्र क्रमांक 750 दिनांक 19–2–2017 जारी किया गया था, किन्तु नोटिस का जवाब डीलर द्वारा नहीं दिया गया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा डीलर के विरूद्व गबन करने पर दिनांक 8–1–2018 को पुलिस थाना अलीगढ़ में एफ0आई0आर0 भी दर्ज करवाई गई है। अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने प्राधिकार पत्र कि शर्तो का उल्लघंन किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकान पाटोली तहसील उनियारा दिनाक 26–12–2017 निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय दुकान बन्द मिली तथा राशन डीलर को दूरभाष पर मौके पर बुलाने पर उसने आने तथा सामग्री का भौतिक सत्यापन करवाने से मना कर दिया। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने पिछले चार–पॉच माह [illegible] सामग्री का वितरण नहीं करना बताया, उक्त कारणों से डीलर को [illegible] किया जाकर पत्र क्रमांक 212 दिनांक 10–1–2018 से अपीलाण्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था लेकिन अपीलान्ट के द्वारा जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया गया है। तत्पश्चात प्रवर्तन निरीक्षक उनियारा द्वारा प्रकरण में विस्तृत जांच दि[illegible] 12–1–2017 को प्रस्तुत की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:43:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

जिसमें डीलर द्वारा 92.36 क्वि0 गेहूँ 41 किलोग्राम चीनी तथा 142.5 लीटर केरोसीन का गबन किये जाने पर अपीलान्ट को पुनः नोटिस जारी कर जवाब/स्पष्टीकरण देने हेतु नोटिस/पत्र कमांक 750 दिनांक 19–2–2017 जारी किया गया था। अपीलान्ट ने तब भी नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। डीलर द्वारा 92.36 क्वि0 गेहूँ 41 किलोग्राम चीनी तथा 142.5 लीटर केरोसीन का गबन किया जाना साबित है। इससे यह स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने तथा राशन सामग्री का का वितरण उवभेक्ताओं को नहीं कर दुरूप्योग/गबन करने के कारण प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा पारित आदेश दिनाक 21–3–2018 को अपास्त किया जाना उचित नही है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी उनियारा का आदेश दिनांक 21–3–2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:43:22 IST
Reason: SelfAttested